

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क्र. :- 85 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 07 / 02 / 14)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र – मौ

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन ।

/// विरुद्ध ///

01. कैलाश यादव पुत्र गंगा सिंह यादव उम्र 54 वर्ष
 02. श्रीमती विमला पत्नी कैलाश यादव उम्र 50 वर्ष
 03. केशव सिंह पुत्र कैलाश यादव उम्र 30 वर्ष
 04. गीतम यादव पुत्र कैलाश यादव उम्र 24 वर्ष
 05. नीलू उर्फ मातवर पुत्र कैलाश यादव उम्र 22 वर्ष
- निवासीगण :- ग्राम मघन, थाना-मौ, जिला भिण्ड (म.प्र.)

..... अभियुक्तगण ।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक :- 01 / 06 / 2017 को घोषित)

01. आरोपीगण केशव सिंह, नीलू उर्फ मातवर, श्रीमती विमला, कैलाश यादव एवं गीतम यादव पर धारा 498 ए एवं 323/34 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक : 24/10/2013 को शाम लगभग 04:00 बजे फरियादी संगीता की ससुराल स्थित ग्राम मघन में, फरियादी संगीता से उसके पति एवं पति के नातेदार होते हुए दहेज की मांग कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार किया एवं सहअभियुक्तगण ने फरियादी संगीता की मारपीट करने का आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी संगीता की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

02. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अभियुक्त केशव फरियादी संगीता का पति, अभियुक्त नीलू उर्फ मातवर एवं गीतम यादव देवर, श्रीमती विमला सास, कैलाश ससुर है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 24/10/2013 को शाम लगभग 04:00 बजे फरियादी संगीता की ससुराल स्थित ग्राम मघन में, आरोपीगण

द्वारा फरियादी संगीता से दहेज की मांग कर उसके साथ कूरतापूर्ण व्यवहार करने एवं उसकी मारपीट करने की लिखित रिपोर्ट फरियादी संगीता द्वारा दिनांक : 24/10/2013 को बजे थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ द्वारा फरियादी के उक्त आवेदन की जांच कर दिनांक : 25/10/2013 को आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 245/2013 अन्तर्गत धारा 498 ए, 323 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। फरियादी संगीता की निशानदेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा तैयार किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी संगीता, साक्षी कल्यान, वीरेन्द्र, बलराम एवं शीला के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 498 ए एवं 323/34 के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उन्होंने आरोप से इंकार कर विचारण चाहा। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया एवं प्रतिरक्षा साक्षी वासुदेव प्रति.सा.01 एवं साक्षी बन्नाम सिंह प्रति.सा.02 की प्रतिरक्षा साक्ष्य अंकित की गई है।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :-

01. क्या आरोपीगण ने दिनांक : 24/10/2013 को शाम लगभग 04:00 बजे फरियादी संगीता की ससुराल स्थित ग्राम मघन में, फरियादी संगीता से उसके पति एवं पति के नातेदार होते हुए दहेज की मांग कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ कूरता पूर्ण व्यवहार किया?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सहअभियुक्तगण ने फरियादी संगीता की मारपीट करने का आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी संगीता की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?

03. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय प्रश्न क्रमांक : 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में फरियादी संगीता अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को जानती है, आरोपी केशव उसका पति, आरोपी कैलाश उसके ससुर, आरोपी विमला देवी उसकी सास तथा गीतम एवं नीलू उसके देवर हैं। साक्षी आगे कहती है कि उसकी शादी केशव से 20 जून 2010 को हुई थी, आरोपीगण शादी के बाद से ही उससे दहेज की मांग करने लगे थे और कहते थे कि अपने घर से मोटर साईकिल लेकर आओं, तभी तुमको घर पर रखेंगे। दिनांक : 24 अक्टूबर 2013 की शाम 04 बजे उसके पति ने उससे कहा कि अपने घर से मोटर साईकिल लेकर आ, तब हम तुमको रखेंगे, फिर उसने अपने घर से मोटर साईकिल लाने को मना कर दिया और बोली कि उसके पिताजी सामर्थ्य के अनुसार दहेज दे चुके हैं, अब उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। साक्षी आगे कहती है कि सभी आरोपीगण ने उसकी मारपीट की, पति केशव, ससुर कैलाश, सास विमला एवं देवर गीतम एवं नीलू ने उसकी मारपीट की, उसके बाद सभी आरोपीगण ने उसे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद उसने अपने भाई वीरेन्द्र को फोन किया। उसका भाई वीरेन्द्र उस समय दतिया में था, उसके बाद उसका भाई उसके पास करीबन शाम 08 बजे आ गया था। उसके भाई वीरेन्द्र के साथ कुलदीप एवं बलराम भी थे, जिन्होंने ससुराल वालों को समझाया, परन्तु वह नहीं माने तो वह रिपोर्ट करने उसके भाई कुलदीप, वीरेन्द्र एवं बलराम के साथ गई थी, उसने थाने पर आवेदन दिया था, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने थाने पर रिपोर्ट रात्रि लगभग 10-11 बजे की थी। पुलिस ने दूसरे दिन उसका मेडीकल कराया था। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। फरियादी संगीता अ.सा.01 द्वारा थाना मौ पर दिये गये लिखित आवेदन प्र.पी.01 एवं उसके आधार पर लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 के तथ्यों से उसके उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि हो रही है।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में संगीता अ.सा.01 का कहना है कि उसने शादी के छः माह बाद ही अपने घर वालों को अपनी परेशानियों के संबंध में बता दिया था। साक्षी ने स्वतः कहा कि वह आज भी रिश्ता नहीं तोड़ना चाह रही है, लेकिन ससुराल वालों द्वारा ज्यादा प्रताड़ित करने के कारण उसके द्वारा रिपोर्ट की गई।

प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में फरियादी संगीता अ.सा.01 का कहना है कि घटना चार बजे की है और उसने शाम 06 बजे उसके मोबाइल में सेव उसके भाई के नम्बर पर अर्थात् वीरेन्द्र अ.सा.02 के नम्बर पर फोन लगाया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में संगीता अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि रिपोर्ट अर्थात् लिखित आवेदन प्र.पी.01 उसके द्वारा नहीं लिखी गई, लेकिन उसके द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये गये थे। साक्षी आगे कहना है कि रिपोर्ट प्र.पी.01 उसके द्वारा बोली गई थी और वीरेन्द्र द्वारा लिखी गई थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में संगीता अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने अपने पति केशव से कहा था कि तुम मुझे अपने साथ दिल्ली में रखो, नहीं तो मैं तुम्हारी झूठी रिपोर्ट कर दूंगी। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसके पति केशव से उससे कहा था कि “तुम मेरे भाई, माता-पिता के साथ रहो, मैं दिल्ली में रहूंगा”। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में संगीता अ.सा.01 का कहना है कि सभी आरोपीगण उससे मोटर साइकिल की मांग करते हैं और कहते हैं कि अगर मोटर साइकिल नहीं दोगी, तो घर से निकाल देंगे। साक्षी आगे कहती है कि उसे उसके घर वालों ने कभी भी अच्छी तरह नहीं रखा, अगर अच्छी तरह रखा होता तो वह आज यहाँ नहीं आई होती। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपीगण ने उससे दहेज की कोई मांग नहीं की और उसने आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की है। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि आरोपीगा ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की। तत्पश्चात् साक्षी ने स्वतः कहा है कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है, मगर वह उसे अपने साथ ले जाना नहीं चाहता। इस प्रकार प्रति-परीक्षण उपरान्त भी फरियादी संगीता अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य आरोपीगण द्वारा उसके विरुद्ध किये गये आरोपित शारीरिक एवं मानसिक कूरतापूर्ण व्यवहार के संबंध में पूर्णतः अखण्डित रहा है। परन्तु फरियादी संगीता ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपीगण में से किस आरोपी द्वारा किस प्रकार उसकी मारपीट की गई, इस वावत् कोई विशिष्ट तथ्य दर्शित नहीं किये हैं। जिससे यह प्रकट होता है कि फरियादी संगीता अ.सा.01 द्वारा जिस मारपीट किये जाने का उल्लेख उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में किया गया, वह धारा 498 ए में शारीरिक कूरतापूर्ण व्यवहार में ही शामिल है।

10. साक्षी वीरेन्द्र अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को जानता है। फरियादी संगीता उसकी छोटी बहिन है। उसकी छोटी बहिन की शादी 2010 में केशव के साथ हुई थी। शादी में उसके पिता ने रूपया, पैसा, चीज आदि सामर्थ्य के अनुसार दिया था। साक्षी आगे कहता है कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही आरोपी उसकी बहिन संगीता से मोटर साइकिल की मांग करने लगे। उसकी बहिन संगीता ने उसके पति कल्याण सिंह एवं उसे बताया कि उसके पति,

सास, ससुर एवं देवर उससे मोटर साईकिल की मांग करते हैं, तो उसके पिता ने उसकी बहिन से कहा कि जब वह तुम्हारे घर आयेंगे तो तुम्हारे घर वालों को समझा देंगे। साक्षी आगे कहता है कि दिनांक : 24 अक्टूबर 2013 को उसकी बहिन संगीता ने उसे फोन करके बताया कि केशव, कैलाश, विमला, गीतम एवं नीलू ने मिलकर उसकी मारपीट कर दी है और उसे घर से बाहर निकाल दिया है और आरोपीगण बोल रहे हैं कि मोटर साईकिल लेकर आओ, तभी घर में रखेंगे। साक्षी आगे कहता है कि उसने ससुराल वालों को समझाया, लेकिन वो नहीं माने और कहने लगे कि मोटर साईकिल लेकर आना तभी तेरी बहिन को रखेंगे। फिर वह अपनी बहिन को लेकर रिपोर्ट करने थाना मौ गया था। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में वीरेन्द्र अ.सा.02 का कहना है कि उसकी बहिन अर्थात् फरियादी संगीता अ.सा.01 ने उसे चार-पॉंच बजे के समय फोन किया था और वह दतिया से 80 किलोमीटर दूर ग्राम मघन लगभग 09-10 बजे बलराम एवं कुलदीप के साथ पहुँच गया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में वीरेन्द्र अ.सा.02 का कहना है कि वह ग्राम मघन करीब 09 बजे आ गया था और आधा एक-घण्टा संगीता के घर पर रुका था। बलराम अ.सा.06 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में कहना है कि वह वीरेन्द्र के साथ संगीता की ससुराल ग्राम मघन लगभग शाम 08:00 बजे पहुँच गया था। यद्यपि संगीता अ.सा.01 ने उसके भाई वीरेन्द्र अ.सा.02 के ग्राम मघन आने का समय शाम लगभग आठ बजे का होना बताया है, परन्तु समय के सन्दर्भ में वीरेन्द्र, बलराम एवं संगीता के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में जो विरोधाभास है, वह उनकी ग्रामीण एवं अर्द्धशिक्षित पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए गंभीर प्रकृति का नहीं है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में वीरेन्द्र अ.सा.02 का कहना है कि वह लोग साढ़े दस बजे ग्राम मघन से निकलकर करीब 11:00 बजे थाने पहुँच गये थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उसमें थाना मौ पर घटना की सूचना प्राप्त होने का समय दिनांक : 24/10/2013 की रात्रि ग्यारह बजे का होना उल्लेखित है, जिससे फरियादी संगीता एवं वीरेन्द्र के घटना की सूचना देने दिनांक : 24/10/2013 की रात्रि ग्यारह बजे थाना मौ पहुँचने के वीरेन्द्र अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की पुष्टि होती है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में वीरेन्द्र अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके सामने आरोपीगण ने उसकी बहन संगीता की मारपीट नहीं की थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में वीरेन्द्र अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपीगण ने उसकी बहन से दहेज की कोई मांग नहीं की। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि वह अपनी बहन संगीता को जबरदस्ती उसकी ससुराल से अपने घर ले गया था। इस प्रकार वीरेन्द्र अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी आरोपीगण द्वारा संगीता से आरोपित शारीरिक एवं

मानसिक रूप से कूरतापूर्ण व्यवहार करने के संबंध में पूर्णतः अखण्डित रहा है एवं वीरेन्द्र अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से संगीता अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि होती है।

12. अभियोजन साक्षी बलराम अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण केशव, कैलाश, विमला, गीतम एवं नीलू को जानता है, क्योंकि उक्त आरोपीगण उसके रिश्तेदार हैं। वह फरियादी संगीता को भी जानता है, फरियादी भी उसकी रिश्तेदार है। साक्षी आगे कहता है कि फरियादी संगीता की शादी केशव से उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 22/12/2015 से चार-पाँच साल पहले हुई थी। फरियादी संगीता के भाई वीरेन्द्र ने दिनांक : 24/10/2013 को उसे फोन किया, वीरेन्द्र ने फोन पर उसे बताया था कि संगीता की ससुराल में झगड़ा हो गया है और संगीता की ससुराल वालों ने संगीता की मारपीट की है। साक्षी आगे कहता है कि फिर वह, वीरेन्द्र के साथ संगीता की ससुराल ग्राम मघन गया था। साक्षी आगे कहता है कि उसने देखा कि संगीता रो रही थी, तो उसने संगीता से पूछा कि क्या बात है, तो संगीता ने उसे बताया कि आरोपीगण उससे दहेज में मोटर साईकिल मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मोटर साईकिल लेकर आओं, नहीं तो घर से निकल जाओं। साक्षी आगे कहता है कि फिर उसने एवं संगीता के भाई वीरेन्द्र ने आरोपीगण को समझाया, तो आरोपीगण बोले या तो दहेज में मोटर साईकिल दे दो, नहीं तो अपनी बहन को घर वापस ले जाओं। फिर आरोपीगण नहीं माने तो उन लोगों ने थाने जाकर रिपोर्ट की थी। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

13. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में बलराम अ.सा.06 का कहना है कि वीरेन्द्र अ.सा.02 ने उसे शाम 05:00 बजे फोन किया था और वीरेन्द्र उसे लेने लगभग साढ़े छः बजे उसके घर नगर स्यौढ़ा पहुँच गया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में बलराम अ.सा.06 का कहना है कि पुलिस ने उसका कथन दिनांक : 26/10/2013 को लिया था। उसके पुलिस कथन के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उसका पुलिस कथन पुलिस द्वारा दिनांक : 26/10/2013 को लिया गया था। साक्षी ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में पुनः दोहराया है कि आरोपीगण ने संगीता की मारपीट कर उससे दहेज की मांग की थी। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपीगण ने दहेज की कोई मांग नहीं की और वह वीरेन्द्र का रिश्तेदार होने के कारण न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। इस प्रकार बलराम अ.सा.06 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी आरोपीगण द्वारा संगीता से आरोपित शारीरिक एवं मानसिक रूप से कूरतापूर्ण व्यवहार करने के संबंध में पूर्णतः अखण्डित रहा है एवं बलराम अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से संगीता अ.सा.01 एवं वीरेन्द्र अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि होती है।

14. साक्षी कल्याण सिंह अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को जानता है। उसकी बच्ची की शादी 20 जून 2010 में केशव सिंह निवासी ग्राम मघन के साथ हिन्दु रीति-रिवाज से हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसने अपनी बच्ची की शादी में रुपये, पैसे, सामान आदि सब दिया था। शादी के दो-चार महीने बाद संगीता के ससुराल वाले पति केशव, ससुर कैलाश, सास विमला, देवर गीतम एवं नीलू मोटर साईकिल व कम रूपयों के लिए परेशान करने लगे और उसकी मारपीट करने लगे। साक्षी आगे कहता है कि संगीता ने जब उसे बताया तब उसने संगीता के ससुराल वालों को कई बार समझाया कि हम मोटर साईकिल न दे पायेंगे। उसके बाद दिनांक : 24/10/2013 को संगीता की उसके ससुराल वाले पति केशव, ससुर कैलाश, सास विमला एवं देवर गीतम एवं नीलू ने मारपीट की, जिसकी सूचना उसने अपने भाई वीरेन्द्र को दी थी कि आरोपीगण ने उसकी मारपीट की और घर से बाहर निकाल दिया है। साक्षी आगे कहता है कि उसके बाद उसने अपने लड़के वीरेन्द्र, कुलदीप और बलराम को वहाँ भेजा था कि उनको समझा देना, लेकिन वो नहीं माने तो उसके बाद उसकी लड़की एवं उसके बच्चों ने थाना जाकर रिपोर्ट की थी, इस संबंध में पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लिया था।

15. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में कल्याण अ.सा.03 का कहना है कि उसकी लड़की संगीता शादी के तीन साल तक ससुराल रही, लेकिन वह परेशान रही। साक्षी आगे कहता है कि उसकी लड़की को उसके ससुराल वाले दो-चार माह बाद ही परेशान करने लगे थे। साक्षी से यह पूछे जाने पर क्या आपके सामने ससुराल वाले ने संगीता को कभी परेशान किया, उसका कहना है कि वह अपनी लड़की के साथ ससुराल में नहीं रहता, जिसका अर्थ है कि उसके सामने आरोपीगण ने संगीता को कभी परेशान नहीं किया। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में कल्याण अ.सा.03 का कहना है कि वह अपनी लड़की संगीता से जरूरत पड़ने पर मिलने जाता था। उसकी लड़की संगीता ने उसे यह बताया था कि ससुराल वाले उससे मोटर साईकिल की मांग करते हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में कल्याण अ.सा.03 का कहना है कि संगीता अ.सा.01 ने मारपीट की खबर मोबाइल पर उसके लड़के वीरेन्द्र अ.सा.02 को दी थी। वीरेन्द्र के घर वापस आने पर उसने वीरेन्द्र को संगीता की ससुराल ग्राम मघन समझाने भेजा था। उपरोक्त विवेचना से यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर अनुश्रुत साक्षी मात्र होना दर्शित होता है, जिसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

16. साक्षी शीला अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को जानती है, आरोपी केशव उसकी बेटी का पति, कैलाश ससुर, विमला सास तथा गीतम एवं नीलू उसकी बेटी के देवर हैं। साक्षी आगे कहती है कि उसकी

लड़की की शादी 2010 में केशव सिंह पुत्र कैलाश सिंह यादव निवासी : ग्राम मघन के साथ हुई थी। उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार केशव को जेवर, पैसा, जंजीर, अंगूठी आदि सामान दिया था। शादी के दो-चार महीने के बाद से ही पति केशव, कैलाश ससुर, विमला सास एवं देवर नीलू एवं गीतम उसकी मारपीट करने लगे और मोटर साईकिल दहेज में लाने को कहते थे, इसकी संगीता ने रिपोर्ट की थी। साक्षी आगे कहती है कि परेशान एवं मारपीट करने वाली बात उसकी बेटी संगीता ने उसे बताई थी, फिर उसने अपने पति से कहा था कि तुम संगीता की ससुराल जाओ वहाँ, जाकर उन लोगों को समझाओ, उसके पति कल्याण संगीता की ससुराल गये और आरोपीगण को समझाया, लेकिन वह नहीं माने और संगीता की मारपीट करते रहे। साक्षी आगे कहती है कि घटना दशहरा-दीपावली के कार्तिक की बात है। संगीता की पॉचों आरोपीगण ने मारपीट की और घर से बाहर निकाल दिया था। साक्षी आगे कहती है कि संगीता ने अपने भाईयों को बुलाया था और अपने भाईयों के साथ रिपोर्ट करने गई थी। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी।

17. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में शीला अ.सा.04 का कहना है कि जब उसकी बेटी संगीता ने दहेज एवं मोटर साईकिल के मांग के बारे में उसे बताया, तब उसके पति घर पर नहीं थे, पति के आने पर उसने उक्त बातें पति अर्थात् कल्याण अ.सा.03 को बताई, उसके दस-बारह दिन बाद उसके पति बेटी के ससुराल वालों को समझाने गये थे। साक्षी आगे कहती है कि उसकी बेटी संगीता ने सावन माह में परेशान करने वाली बात उसे बताई थी। उल्लेखनीय है कि आरोपित घटना अक्टूबर माह की है, उस समय विक्रमी कैलेंडर के अनुसार सावन माह नहीं होता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से यह साक्षी भी घटना की चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर अनुश्रुत साक्षी मात्र होना दर्शित होती है, जिसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

18. डॉ.आर विमलेश अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 25/10/2013 को सीएचसी मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मौ के आरक्षक क्रमांक 80 अर्जुन सिंह द्वारा लाये जाने पर आहत संगीता पत्नी केशव सिंह, उम्र 25 वर्ष, निवासी मघन, का परीक्षण करने पर आहत बाई जांघ में, बाये घुटने, बाई ओर छाती में एवं दाहिने कंधे पर दर्द की शिकायत बता रही थी। आहत को इस वावत् पीएनएस एक्स-रे कराने की सलाह दी थी। इस वावत् उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में डॉ. आर विमलेश अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आहत को उक्त दर्द की शिकायत किसी बीमारी के कारण हो सकती है। साक्षी ने

आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि आहत को उक्त दर्द की शिकायत गिरने-पड़ने की वजह से भी हो सकती है। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वह आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। उल्लेखनीय है कि फरियादी संगीता ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में उसके शरीर के किसी विशिष्ट भाग में विशिष्ट रूप से किसी आरोपी या आरोपीगण में से किसी के द्वारा चोट पहुँचाये जाने का कोई तथ्य नहीं बताया है। डॉ.आर.विमलेश अ.सा. 05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी उनके द्वारा यह दर्शित नहीं किया गया है कि उन्होंने आहत संगीता के शरीर पर कोई दृश्यमान होना पाया था, बल्कि उन्होंने यह दर्शित किया है कि आहत बाई जांघ, घुटने, छाती में बाई ओर एवं दाहिने कंधे पर दर्द की शिकायत कर रही थी। ऐसी दशा में मात्र डॉ.आर.विमलेश अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आरोपित घटना दिनांक : 24/10/2013 के एक दिन पश्चात् दिनांक : 25/10/2013 को चिकित्सीय परीक्षण के समय आहत संगीता द्वारा उसके शरीर के जिन स्थानों पर दर्द की शिकायत की गई थी, उन स्थानों पर यदि कोई चोट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहुँचाई गई थी तो वह व्यक्ति केवल आरोपीगण ही थे, कोई अन्य नहीं।

19. अभियोजन साक्षी निहाल सिंह अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 25/10/2013 को पुलिस थाना मौ में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे फरियादी संगीता का दहेज न देने पर उसकी मारपीट करने वावत् एक आवेदन पत्र थाना प्रभारी द्वारा दिया गया था, जिसके आधार पर उसके द्वारा अपराध क्रमांक 245/13 अन्तर्गत धारा 323 एवं 498/34 भा.द.सं. का आरोपीगण केशव, कैलाश, विमला, गीतम एवं नीलू के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु एफआईआर एएसआई अवनीश शर्मा को सुपुर्द कर दी थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में निहाल सिंह अ.सा.07 का कहना है कि उसे दिनांक : 25/10/2013 को फरियादी संगीता का आवेदन जांच उपरांत एफआईआर काटने हेतु मिला था। निहाल सिंह अ.सा.07 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य फरियादी संगीता अ.सा.01 के आवेदन प्र.पी. 01 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 लेखबद्ध किये जाने के संबंध में प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है।

20. अभियोजन साक्षी अवनीश शर्मा अ.सा.08 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 25/10/2013 को पुलिस थाना मौ में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मौ के अपराध क्रमांक 245/12 अन्तर्गत धारा 323 एवं 498 ए भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना प्राप्त हुई थी। साक्षी

आगे कहता है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा दिनांक : 26/10/2013 को दोपहर 02:10 बजे फरियादी संगीता की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक : 25/10/2013 को फरियादी संगीता, साक्षी वीरेन्द्र, दिनांक : 26/10/2013 को साक्षी बलराम, एवं दिनांक : 04/11/2013 को साक्षी कल्याण एवं शीला के कथन उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 14/11/2013 को आरोपीगण नीलू एवं केशव को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा क्रमशः प्र.पी.05 एवं प्र.पी.06 बनाये थे, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक : 31/12/2013 को आरोपीगण विमला एवं कैलाश को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा क्रमशः प्र.पी.07 एवं प्र.पी.08 बनाये थे, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक : 03/01/2014 को आरोपी गीतम को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.09 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में अवनीश शर्मा अ.सा.08 का कहना है कि फरियादी संगीता अ.सा. 01 नक्शा-मौका बनाये जाते समय उसे वहीं पर मिली थी, वह अपने भाई के साथ आई थी। साक्षी आगे कहता है कि वह घटनास्थल पर दोपहर डेढ़ या दो बजे पहुँच गया था। नक्शा-मौका प्र.पी.02 पर नक्शा-मौका बनाये जाने का समय दोपहर 02:10 बजे होना उल्लेखित है। जिससे अवनीश शर्मा अ.सा.08 के दोपहर 02 बजे के आसपास घटनास्थल पर पहुँचने के तथ्य की पुष्टि होती है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में अवनीश शर्मा अ.सा.08 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने नक्शा-मौका प्र.पी.02 की कार्यवाही थाने पर बैठकर की है। इस प्रकार आरोपित घटना की विवेचना किये जाने के संबंध में अवनीश शर्मा अ.सा.08 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है।

21. धारा 315 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत साक्षी वासुदेव व्यास प्रति.सा.01 एवं वरनाम सिंह प्रति.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं, जो आरोपित घटना में आरोपीगण की संलिप्तता ना होना दर्शित करते हो।

22. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण केशव सिंह, नीलू उर्फ मातवर, श्रीमती विमला, कैलाश यादव एवं गीतम यादव ने दिनांक : 24/10/2013 को शाम लगभग 04:00 बजे फरियादी संगीता के घर ग्राम मधन में, फरियादी संगीता से उसके पति एवं पति के नातेदार होते हुए दहेज की मांग कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ कूरता पूर्ण व्यवहार किया।

23. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण केशव सिंह, नीलू उर्फ मातवर, श्रीमती विमला, कैलाश यादव एवं गीतम यादव ने दिनांक : 24 / 10 / 2013 को शाम लगभग 04:00 बजे फरियादी संगीता के घर ग्राम मघन में, सहअभियुक्तगण ने फरियादी संगीता की मारपीट करने का आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी संगीता की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

अंतिम निष्कर्ष

24. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपीगण केशव सिंह, नीलू उर्फ मातवर, श्रीमती विमला, कैलाश यादव एवं गीतम यादव के विरुद्ध धारा 498 ए भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपीगण केशव सिंह, नीलू उर्फ मातवर, श्रीमती विमला, कैलाश यादव एवं गीतम यादव को धारा 498 ए भा.द.सं. के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है।

25. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपीगण केशव सिंह, नीलू उर्फ मातवर, श्रीमती विमला, कैलाश यादव एवं गीतम यादव के विरुद्ध धारा 323/34 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण केशव सिंह, नीलू उर्फ मातवर, श्रीमती विमला, कैलाश यादव एवं गीतम यादव को धारा 323/34 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

26. आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने पर विचार किया गया। परन्तु आरोपीगण द्वारा किये गये, कृत्य से समाज में पुत्रवधुओं से दहेज संबंधी शारीरिक एवं मानसिक क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, इसलिए आरोपीगण शिक्षाप्रद दण्ड दिया जाना आवश्यक है, इसलिए उन्हें परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

27. निर्णय दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण के अधिवक्ता को सुने जाने के लिए कुछ समय के लिए स्थगित किया गया।

जे.एम.एफ.सी गोहद

पुनश्च:—

28. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.एस.यादव को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण के अधिवक्ता श्री बी.एस.यादव का कहना है कि आरोपीगण कम पढ़े-लिखे, गरीब एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, जिनमें से आरोपीगण कैलाश एवं विमला वृद्ध हैं। यह आरोपीगण का प्रथम अपराध है। आरोपीगण केशव, गीतम एवं नीलू उनके परिवारों के एक

मात्र कमाने वाले व्यक्ति हैं। न्यायालय आरोपी अधिवक्ता के तर्कों से सहमत नहीं है। फलतः आरोपीगण केशव सिंह, नीलू उर्फ मातवर, श्रीमती विमला, कैलाश यादव एवं गीतम यादव को धारा 498 ए भा.द.सं. के आरोप के लिए 03-03 वर्ष सश्रम कारावास तथा 500-500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपीगण को पृथक से 05-05 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावें।

29. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाये तथा आरोपीगण केशव सिंह, नीलू उर्फ मातवर, श्रीमती विमला, कैलाश यादव एवं गीतम यादव को अभिरक्षा में लेकर सजा वारंट के माध्यम से कारावास का दण्ड भुगतने के लिए उपजेल गोहद भेजा जाये।

30. आरोपीगण द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, किसी अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद